Title: Resolution regarding problems of sugarcane growers moved by Shri Madan Prasad Jaiswal.(Not concluded).

1739 बजे

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> " कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि गन्ने की आपूर्ति के एक सप्ताह के अंदर गन्ना के उपज कर्त्ताओं को चीनी मिलों द्वारा उचित कीमत पर भुगतान सुनिश्चित करे और उत्तर प्रदेश, बिहोर तथा गन्ना उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्यों में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः खोलने के लिये तुरन्त कदम उठाये। "

सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे किसानों और चीनी मिलों के संबंध में इस संकल्प पर बोलने का मौका मिला है। मैं जिस इलाके से आता हूं, वह गन्ना उत्पादकों का क्षेत्र है। मेरे जिले में 9 चीनी मिलें हैं जिनमें से चार बंद पड़ी हुई हैं, पांच चल रहीं हैं और उसमें भी दो दम तोड़ने की स्थिति में हैं। किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। इनमें से कुछ चीनी मिलें सरकार की हैं और कुछ चीनी मिलें व्यक्तिगत औद्योगिक घरानों की हैं।

आज किसानों के उस दर्द और पीड़ा को लेकर मैं यहां खड़ा हुआ हूं। जहां किसानों के खेत में गन्ना साल भर रहता है और जब गन्ने के काटने का समय आता है और चीनी मिलों के चलने का समय आता है तो उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसे कि परिवार में किसी के पुत्री है और उसकी पुत्री की उम्र शादी की हो गई है तो उसके पूरे परिवार में बेचैनी रहती है कि उसकी लड़की की शादी हो जाए। जैसे भी हो लड़की की शादी कर दें और चैन से रहें। वही स्थिति गन्ना किसानों की भी होती है। साल भर खेत में गन्ना पड़ा रहने के बाद गन्ना काटने का समय आता है और गन्ना काटकर किसान उसे मिलों में देता है, लेकिन मिलों में देने के बाद उसे पैसा नहीं मिलता है, मिलों से उसे चालान नहीं मिलता है। मिलों के द्वारा किसानों का उत्पीड़न होता है। जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उन्हें लेकर उन इलाकों में आंदोलन हो रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर इस मसले को उठाने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका और सदन का आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूं। 15 नवम्बर को बिहार को बंटवारा हो गया है। बिहार में आय के जितने स्रोत थे, चाहे वे उद्योग हों, चाहे खानें हों, चाहे जंगल से मिलने वाली सम्पत्ति हो, ये सारी चीजें आज झारखंड प्रदेश में चली गई हैं। 1930 के दशक में अंग्रेजों के समय में जब चीनी मिलें लगाई गई तो बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें लगाई गई। जब हिंदुस्तान में चीनी मिलें लगने लगीं तो उन लोगों ने सर्वे किया और पाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन सबसे उपजाऊ है और सबसे अधिक चीनी मिलों की स्थापना इन्हीं दो प्रदेशों में हुई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उद्योग का केन्द्र रहा। सबसे अधिक चीनी मिलों की वहां व्य वस्था रही। बिहार पूरे देश का दूसरा प्रदेश था, जहां चीनी मिलें थीं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक चीनी का उत्पादन बिहार में होता था। लेकिन आज बिहार की क्या स्थिति हो गई है। आज बिहार पूरे देश में चीनी उत्पादन के मामले में आठवें या नौवें स्थान पर चला गया है। उस समय 28 चीनी मिलें स्थापित की गईं थीं, लेकिन उन 28 में से आज 18 चीनी मिलें बंद हैं।

सभापति महोदय, उत्तर बिहार में कृाि को छोड़कर और कुछ नही हैं और कृाि के आधार पर जो उद्योग लगाये जा सकते थे उसमें एक चीनी उद्योग था। लेकिन उन 28 चीनी मिलों मे से आज 18 चीनी मिलें बंद हो गई हैं। इनमें 15 चीनी मिलें तो बिहार सरकार के शुगर निगम की हैं, इन चीनी मिलों को बिहार सरकार ने इसलिए अपने हाथ में लिया था, चूंकि ये चीनी मिलें किसानों के पैसे का भुगतान नहीं कर सकती थीं। उनके प्राइवेट मालिक किसानों और मजदूरों का भुगतान नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्हें बिहार सरकार ने लिया और 15 चीनी मिलें पिछले तीन वर्षों से बंद पडी हैं। केन्द्र सरकार की भी वहां तीन चीनी मिलें हैं। केन्द्र सरकार से मेरा मतलब है बी.आई.सी., ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन जो मुन्ध्रा ग्रुप का था, किसी जमाने में इस मामले को इसी सदन में श्री फिरोज गांधी ने उठाया था। मुन्ध्रावाली कमीशन और जस्टिस छागला की कमेटी बनी थी, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन बन गया। इन तीन चीनी मिलों में से दो हमारे क्षेत्र में हैं - चकिया और चमपटिया। ये मेरे क्षेत्र चम्पारण में हैं और एक चीनी मिल श्री राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में आती है। ये चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का जो ि वभाग है वह भारत सरकार की टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अधीन आता है। अभी मैंने एक दिन देखा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री का बयान आ रहा था कि बी.आई.सी. को भारत सरकार उनकी मिलों को चलाने के लिए 216 करोड़ रुपये की अनुदान देने जा रही है। मैने सोचा कि शायद चीनी मिलों का भी उद्धार होगा। हमारे यहां जो तीन चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, वे चलेंगी। लेकिन जब मैंने डीटेल में न्यूज पेपर पढ़ी तो पाया कि वह केवल टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए था।

बी.आई.सी. की जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, उसको चलाने के लिए सारी व्यवस्था की गई न कि बिहार की तीन चीनी मिलों को चलाने के लिए। आज भारत सरकार के मंत्री, माननीय शांता कुमार जी यहां बैठे हैं। हम लोगों ने बिहार के लिए विशेा पैकेज दो दिन पहले नीतीश जी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री जी से मांगा है। उसमें चीनी उद्योग के संबंध में विशेा पैकेज मांगा गया है। आपके पास चीनी विकास कोा की कितनी राशि है यह मैं अभी देख रहा था। राज्य सभा की बहस में एक माननीय सदस्य श्री बागडोरिया ने कहा कि ' चीनी विकास के करीब-करीब 11000 करोड़ रुपये हैं किन्तु बैंक मिलों को पैसे देने से इंकार कर रहे हैं। बैंक गारंटी मांगते हैं जो उनको मिलती नहीं है इसलिए किसानों को भुगतान कैसे करें।' उन्होंने कहा कि 'सुनने में आया है कि ....' इसके आगे की बात मैं नहीं बता सकता। लेकिन यह राशि करीब-करीब 1100 करोड़ रुपये के आस पास है। मंत्री जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 900 करोड़ या 1100 करोड़ रुपये के आस-पास है। मेरा विशेा आग्रह है कि इन चीनी मिलों को चलाने के लिए, विशेाकर उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों को चलाने के लिए सरकार विशेा ध्यान दे। मेरा संकल्प उत्तर प्र ादेश और बिहार को लेकर है, लेकिन आप देखें कि 1998-99 में 54 चीनी मिलें बंद पड़ी थीं। उसमें पंजाब में 1, उत्तर प्रदेश में 10, मध्य प्रदेश में 2, गुजरात में 3, महाराट्र में 10, बिहार में 17, असम में 1, उड़ीसा में 1, नागालैण्ड में 1, आंध्र प्रदेश में 5, कर्नाटक में 2 और केरल में 1 मिल बंद थीं। फिर 1999-2000 में उसकी संख्या बढ़कर 68 हो गई, जिसमें बिहार की 18 चीनी मिलें हो गईं, उत्तर प्रदेश की 15, और महाराट्र की 10 थीं। महाराट्र के लिए मैं विशेाकर इसलिए कहना चाहता हूं कि महाराट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कोआपरेटिव में सबसे अधिक चीनी मिलें चल रही हैं। बिहार में एक भी कोआपरेटिव की चीनी मिल नहीं है।

सभापति महोदय : बनबनखी में एक लगी थी।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : जी हां। आज स्थिति यह बन गई कि कोई नई चीनी मिल हम लोगों तक नहीं आई है। अभी हाल में एक चीनी मिल का उद्घाटन सहारनपुर में हुआ। आश्चर्य इस बात का है कि वह लेटेस्ट टैक्नोलॉजी से बनी है और अपने बॉइलर से 10 मैगावाट बिजली भी पैदा करती है। उसको अपनी चीनी मिल के लिए केवल पांच मैगावाट बिजली चाहिए और 5 मैगावाट वह उत्तर प्रदेश बिजली निगम को दे रही है। इसलिए चीनी मिलों के उद्धार के लिए जो इतनी बड़ी राशि उपलब्ध है, इस प्रकार की चीनी मिलों को जो सरकार की चीनी मिलें हैं, उनको सरकार सहायता दे। सरकार तो डिसइनवैस्टमेंट कर रही है और मैं जानता हूं कि उनकी मजबूरी क्या है। सरकार को सरकार चलानी चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए और उद्योग नहीं चलाना चाहिए। मैं जानता हूं कि जो सरकार की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें कितनी रैडटेपिज़्म होती है, बाबूशाही होती है और कैसे अधिकारियों की व्यवस्था होती है। लेकिन सरकार के पास राशि उपलब्ध है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो छोट-छोटी चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, उनके लिए भारत सरकार इस पैकेज से राशि दे। बहुत सी चीनी मिलें हैं जो केवल 9000 क्विंटल प्रतिदिन पेराई की क्षमता रखती हैं। जब तक उनकी कैपेसिटी 25000 क्विंटल तक नहीं बढ़ाई जाएगी उनका उद्धार नहीं होगा। हमारे यहां एक प्राइवेट चीनी मिल चल रही है जिसकी कैपेसिटी 80000 क्विंटल प्रतिदिन पेराई करने की है और वह लगभग 1 लाख क्विंटल कैपेसिटी तक जाने वाली है।

सभापति महोदय, जो 10 हजार मीट्रिक टन की कैपेसिटी की चीनी मिल है, उसकी कैपेसिटी में यदि बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी, तो चीनी मिलें सर्वाइव नहीं करेंगी। कोई भी चीनी मिल आज यदि चलानी है, तो वह 2 हजार 5 सौ मीट्रिक टन क्षमता से नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि इस क्षमता से नीचे होगी, तो वह चल नहीं सकेगी। जो 1930-40 के दशक में चीनी मिलें बनी हुई हैं वे आज सारी की सारी बेकार पड़ी हुई हैं। सरकार को चाहिए कि उन चीनी मिलों को नई व्यवस्था के अधीन चलाया जाए। उनके री-कंस्ट्रक्शन का मामला हो या कोई और मामला हो, उनको चलाने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए और उन्हें सरकारी पद्धति के अन्तर्गत नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के सुपुर्द कर दिया जाए और उनके साथ यह एग्रीमेंट होना चाहिए कि वे उन चीनी मिलों को चलाएंगे, स्क्रैप में नहीं बेचेंगे।

सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में एक-दो चीनी मिलों को लोगों ने ले लिया और उनको कबाड़ में बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां भी ये चीनी मिलें हैं वहां ये किसानों की सुविधा के लिए बनी थीं और इलाके के उद्धार के लिए बनी थीं, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि इन चीनी मिलों को लोगों ने खरीद कर स्क्रैप में बेचना शुरू कर दिया और नयी चीनी मिलें नहीं लगाईं। यदि इस प्रकार से होगा, तो यह बहुत दुखदाई बात होगी। इन मिलों को जिन्हें भी दिया जाए, उनके साथ अनुबन्ध होना चाहिए कि इनकी क्षमता को 25 हजार क्विंटल मीट्रिक टन से ऊपर बढाया जाएगा, उससे कम की चीनी मिलें नहीं लगें और जो उद्योगपति इनको लेने के लिए तैयार हों, उन्हें पूरी सुविधाएं दी जाएं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो 40 और 60 प्रतिशत चीनी की लेवी का पहले का रेश्यो था उन्होंने उसको 30 और 70 प्रतिशत कर दिया। यानी 30 प्रतिशत चीनी लेवी में जाएगी और 70 प्रतिशत खुले बाजार में बेची जाएगी। यह बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं, उन्हें नई चीनी मिल लगाने जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्हें पांच-सात साल के लिए परचेज टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि सभी प्रकार के टैक्सों से छूट दी जानी चाहिए। कम से कम उसे पांच-सात साल का इस तरह का पैकेज दिया जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। जब तक मंत्री जी ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक इन चीनी मिलों का चलना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विशेा आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, किसानों की जो राशि बकाया पड़ी है वह भी बहुत अधिक है। इतनी बड़ी राशि किसानों की चीनी मिलों पर बकाया है और उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1999-2000 के 707 करोड़ रुपए, 1998-99 के 664 करोड़ रुपए और 1997-98 के 591 करोड़ रुपए बकाया हैं। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि शुगर एक्ट भारत सरकार का है। गन्ने की कीमत भारत सरकार तय करती है, चीनी की लेवी की कीमत भारत सरकार तय करती है, जब ये सारी बातें भारत सरकार तय करती है, लेकिन जब किसानों के गन्ने के भुगतान का मामला आता है तब भारत सरकार कह देती है कि प्र ादेश की इकाइयां और प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 1966 के शुगर एक्ट में प्रावधान है कि यदि किसानों का गन्ना लिया जाता है और 15 दिन से अधिक समय हो जाता है, तो सरकार सूद सहित उसका भुगतान करेगी। एक्ट में प्रावधान है, लेकिन सूद तो छोड़ो किसानों को उसके गन्ने का बरसों तक मूलधन ही नहीं मिलता, फिर सूद की बात कौन करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां किसानों की तड़प, उनके दुख-दर्द को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार यदि लेवी की चीनी लेती है, गन्ने का दाम तय करती है तो उसे उसी एक्ट के तहत गन्ने के भुगतान का जिम्मा भी लेना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा न कर के गन्ने के भुगतान को प्रदेश सरकारों पर डाल देती है। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि भारत सरकार के खाद्य मंत्री महोदय की ओर से प्रदेश सरकारों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा गया है जिसमें आग्रह किया गया है कि किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान तुरन्त किया जाए और यह भी कि दीवाली से पहले भुगतान कर दिया जाए।

मैं नहीं जानता कि उस पत्र का क्या रिजल्ट आया ? किसानों की बकाया राशि का भुगतान हुआ या नहीं या वह अभी भी बकाया पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका भी उत्तर दें। आज जिन शहरों में, कस्बों में जो चीनी मिलें बनी हैं, जब मैं अपने इलाके जाता हूं तो वहां बी.आई.सी. की एक चीनी मिल है जिसका नाम चनपटिया है। मैं सबसे अधिक वोटों से वहीं से जीता हूं। वहां के लोगों की तड़प यही है कि जायसवाल साहब, किसी तरह से यह चीनी मिल चलवा दीजिए। वह चीनी मिल बी.आई.सी. की है और अब वह बी.आई.एफ.आर. में चली गयी है। बी.आई.एफ.आर. में जाने के बाद वहां के लोगों ने इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस चला तो उसने घोाणा कर दी कि इस चीनी मिल को बेच दिया जाये। उसके जो दाम तय किये गये, वे बड़े आश्चर्यजनक हैं। उस सड़े-गले कारखाने का स्क्रैप छोड़कर और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने जो दाम तय किये, उस पर किसी आदमी ने टेंडर नहीं भरा। टेंडर डालने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी लेकिन उस समय तक जो मिनिमम प्राइस की डिमांड थी, उस बेसिस पर किसी ने टेंडर नहीं भरा । मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बकाया राशि का भुगतान और उन चीनी मिलों के लिए विशेा व्यवस्था की जाये।

आज पूरे देश में 493 चीनी मिले हैं, जिसमें 68 चीनी मिलें 1999-2000 से बंद पड़ी हैं। भारत सरकार ने जिस तरह से बी.आई.सी. को एक विशेा पैकेज दिया ताकि उसकी टेक्सटाइल मिलें चलें, मेरा आग्रह है कि यह भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इनके लिए भी पैकेज देकर, इन चीनी मिलों में पैसा लगाकर, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाये क्योंकि इसमें ईंधन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो शुगर मिल का बगास निकलता है, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे भारत सरकार को काफी आय और अन्य चीजों की व्यवस्था हो जाती है। उसी बगास से किसानों को भी राहत मिल जाती है क्योंकि जो अच्छे बॉयलर आ रहे हैं, वे उतने ही ईंधन से 10 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो बगास बच रहा है, वह कागज बनाने की फैक्टरी में काम आ रहा है। इसी तरह जो मोलायसेस है, वह राज्य सरकारों की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। मोलायसेस से आज डिस्टलरियां चल रही हैं तथा जितनी शराब की व्यवस्था चल रही है, वे सारी उसी के कारण हो रही है। इस बात को लेकर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संकल्प में जो सारे विाय आये हैं जैसे किसानों को उनके भुगतान का, उनकी व्यवस्था करने आदि सभी का वह जवाब दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

" कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि गन्ने की आपूर्ति के एक सप्ताह के

अंदर गन्ना के उपजकर्त्ताओं को चीनी मिलों द्वारा उचित कीमत पर भुगतान सुनिश्चित करें

और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा गन्ना उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्यों में बन्द पडी

चीनी मिलों को पुन्न : खोलने के लिये तुरंत कदम उठाए। "

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, श्री जायसवाल द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, निश्चय ही अत्यंत सामयिक है और चीनी मिलों के बारे में जहां यह बिगडी स्थिति प्रदर्शित करता है वहीं गन्ना किसानों की दयनीय दशा की ओर भी संकेत करता है। हम गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा कर चुके हैं और यह भी चर्चा कर चुके हैं कि गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया मिल-मालिकों या चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। सरकार के बार-बार प्रयत्न करने पर भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। उसका परिणाम विपरीत जा रहा है। इससे गन्ना किसान निराश हैं और गन्ने की बोआई नहीं हो रही है। नया क्षेत्रफल जुड़ नहीं रहा है और जो पुराना क्षेत्रफल है, वह भी कम होता जा रहा है। हम बड़े गर्व के साथ कहते है कि हमारे पास चीनी का भरपूर स्टॉक है लेकिन धीरे-धीरे उसके बारे में भी हमको कहना पडेगा कि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है और कल हमने जो आयात बंद किया है, फिर से आयात करने की ओर

बाध्य न होना पड़े। यह एक ऐसी नीति है जिससे बचना आवश्यक है। इसलिए चीनी उद्योग के बारे में समग्र रूप से विचार करने की जरूरत है।

मैं माननीय जटिया साहब से चर्चा कर रहा था कि चीनी उद्योग केवल किसानों तक ही संबंधित नहीं है बल्कि उसमें मजदूर भी जुड़े हुए हैं।

18.00 ण्द्धद्म

जितनी चीनी मिलें बंद हुई हैं, इससे मजदूरों के हाथ का काम छिना है, उनकी आजीविका भी छिन गई है, हजारों की तादाद में मजदूर आज बेकार हैं। जायसवाल जी ने बिहार की 28 मिलों के बारे में चर्चा की, उत्तर प्रदेश, महाराट्र और आंध्र की मिलों के बारे में चर्चा की। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की मिलें हैं,मध्य प्रदेश में जटिया जी के क्षेत्र और मेरे क्षेत्र में भी हैं। एक-दो मिलें बंद हो गई हैं और एक-दो बंद होने के कगार पर हैं। सरकार द्वारा जो मिलें चल रही थीं, वे भी बंद होने के कगार पर हैं, जो निजी तौर पर चल रही थीं, वे भी बंद होने के कगार पर हैं, जो सरकार से कर्ज लेकर, अंशदान से चलाई जा रही थीं, उन पर भी आज गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है और वे भी बंद होने के कगार पर हैं। इसलिए इस सारे उद्योग पर एक बार समग्र दृटि से चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? आप स्वयं जानते हैं कि हमारे यहां गन्ना विकास परिदें बनीं। हम भी उसमें जन-प्रतिनिधि के नाते भागीदार होते थे, विधायक भागीदार होता था, गन्ना उत्पादक भागीदार होता था। धीरे-धीरे उन गन्ना परिदों पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का एकाधिकार हो गया और जन-प्रतिनिधि एक तरफ होते चले गए। इस प्रकार की स्थिति बनी कि शायद उनसे परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी। गन्ना विकास केन्द्र बने, जैसे अलग-अलग उपज के लिए केन्द्र बनते हैं, वे भी धीरे-धीरे बंद होते चले गए। गन्ने के विकास की दृटि से नित नया क्षेत्रफल लेना था, आवश्यकता होने पर जो नया बीज देना था, वह नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि पहले जो गन्ना डेढ़ र्वा में होता था, उसकी अवधि कम करके पन्द्रह महीने, बारह महीने, दस महीने और नौ महीने की गई और गन्ना नौ महीने की अ वधि में पकने लगा। वैज्ञानिकों ने यह करके दिखाया। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रश्रय मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। यह बात सही है कि गन्ना मिलों का प्र ाबंध ठीक से हो। यह सब कुप्रबंध के कारण हुआ, सरकार की दखलअंदाजी ज्यादा होने के कारण हुआ अन्यथा यह बात सही है कि उसके अंदर आज जो मोलैसेस निकलता है, उसे बेच कर करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है, उससे जो बगास निकलती है, उससे बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन कुछ मिलें बहुत पुरानी हैं जैसे कुछ सन् 1925-26 में लगीं, कुछ 1930 में लगीं, कुछ 1940 में लगीं लेकिन कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जो लेटैस्ट हैं और यदि उन पर थोड़ा-बहुत पैसा लगा दिया जाए तो उनका उत्पादन ठीक हो सकता है, उनको चलाया जा सकता है। लेकिन शायद राज्य सरकारें इस बारे में चिंतित नहीं हैं। कहीं न कहीं गन्ना विकास निधि का उपयोग करना होगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि गन्ना विकास निधि, शुगरकेन डैवलपमैंट फंड का उपयोग हो सकता है और ऐसी मिलों को बचाया जा सकता है।

कुछ दिन पहले टैक्सटाइल मिलों को बचाने के लिए चर्चा हुई और उन पर योजना बनी ठीक उसी प्रकार चीनी मिलों के बारे में योजना बन सकती है ताकि हम आने वाले खतरों से सचेत होकर कुछ काम कर सकें। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा था। मध्य प्रदेश में अनेक मिलें धीरे-धीरे बंद होती चली गईं। अब दो-तीन चल रही हैं, वे भी बंद हो जाएंगी। आखिर एक संकट खड़ा हुआ है। गन्ने की खेती कम हो गई। इस बार बहुत ज्यादा सूखा हुआ और सारा सोयाबीन खत्म हो गया। किसान इधर से भी पीड़ित है और उधर से भी पीड़ित है। इसलिए इस विाय पर ठीक से प्रयत्न करने और देखने की आवश्यकता है।

मैं दक्षिण भारत गया था। वहां कुछ ऐसी चीनी मिलें हैं जिनके दो-दो प्लांट साथ हैं।, 4-5 महीने एक प्लांट चलाता है, 4-5 महीने दूसरा प्लांट चलता है और बीच में उसकी सफाई होती है। उस क्षेत्र में एक मंडिया की फैक्ट्री और एक दूसरी फैक्ट्री मैंने देखी थी। वह लगातार चलती रहती है। क्या हम ऐसा कोई उपक्रम नहीं कर सकते? यह कहा जाता था कि महाराट्र में शुगर का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, कुछ क्षेत्रों की शुगर बहुत अच्छी मानी जाती थी। देश की राजनीति में महाराट्र की शुगर लॉबी प्रभावी थी। धीरे-धीरे महाराट्र की चीनी मिलें भी खत्म होती जा रही हैं, वहां भी चीनी का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसके साथ-साथ गुड़ का उत्पादन भी कम हो रहा है और उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो गुड़ की मंडियां भरी रहती थीं, आज उन पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि जब गन्ने की पैदावार कम हो रही है, गन्ने का उत्पादन नहीं है, किसान ने गन्ना बोना बंद कर दिया है तो उसके ऊपर असर पड़ना स्वाभाविक है। में चाहूंगा कि इसमें जो कार्यवाही की जा सकती है, सरकार निश्चित रूप से वह करे। गन्ने का भुगतान जो बकाया है, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराट्र में हो, वह किया जाए । मध्य प्रदेश में भी चार मिलों का करोड़ों रुपया जटिया जी के क्षेत्र और मेरे क्षेत्र में बकाया है। हम राज्य सरकार से कहते हैं तो वह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन मजदूरों का बकाया है, वह बकाया भी दिलवाया जाये।

अब तो मजदूरों की वालेण्टरी रिटायरमेंट स्कीम में छंटनी हो रही है। शुगर मिल के अन्दर उनको कह रहे हैं कि आप घर जाकर बैठिये। वालेण्टरी रिटायरमेंट स्कीम के अन्दर उनको पैसा कब मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस प्रकार की स्थिति होगी, कुछ भी स्पट नहीं है। इसलिए उसके बारे में भी स्थिति स्पट करने की आ वश्यकता है। मैं शुगरकेन एक्ट के विस्तार में नहीं जाना चाहता, शुगरकेन एक्ट में तो बहुत सारे प्रावधान थे और शुगर इंडस्ट्री को व्यापक स्वरूप देने के लिए 15 मील के एरिया में बड़ा प्रतिबंधित किया गया था, अब तो वह किलोमीटर हो गया है। तब यह था कि 15 मील के एरिया में कोई दूसरी फैक्टरी नहीं होगी, कोई गुड़ नहीं बना सकेगा, कोई निजी फैक्टरी नहीं लगा सकेगा। इस तरह से शुगर इंडस्ट्री को डवलप करने के लिए बहुत जगह प्रतिबन्ध थे। आज कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उसके बाद भी तब किसानों को सारे साधन मुहैया कराये गये, ट्रक उपलब्ध कराये गये, बीज उपलब्ध कराये गये। आज न तो किसान को बीज मिलता है, न किसी प्रकार की सहायता मिलती है, यहां तक कि उसका जो बकाया पैसा है, वह पैसा भी उसको नहीं दिया जा रहा है, इसलिए चीनी उद्योग को बचाने की दृटि से सरकार समग्र रूप से विचार करे और इस विकास निधि का ठीक से उपयोग हो और चीनी मिलें चलें। इस बारे में प्रयत्न कर जो चलने योग्य मिलें हैं, उनकी निश्चित रूप से सहायता करें, किसानों का पेमेण्ट हो और उसके साथ-साथ मजदूरों का पेमेण्ट हो। साथ ही साथ चीनी उद्योग जो आज संकट में है, उसे संकट से बचाकर हमें भविय में ऐसी आवश्यकता न पड़े कि हम फिर से आयात की ओर दृटि डालें और आयात पर निर्भर हों। अगर आयात किया जाये तो हम सरकार से मांग करें कि इसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ड्यूटी लगा दी जाये, नहीं तो यहां और संकट खड़ा हो जायेगा।

इन सारे संकटों से बचने के लिए सरकार विचार करे और समग्र रूप से व्यापक सुझाव लेकर चीनी उद्योग के बारे में कोई उपाय लेकर आये। मैं इस रूप में इस संकल्प का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Respected Chairman, Sir, actually when the sugar mill was to be established in Tamil Nadu and especially in my Constituency in 1985-87, the people were very much excited. The farmers felt that they will get more benefit from this rather than by cultivating paddy and other crops which they were growing ancestrally. At that time, the local people helped them by giving their lands at very cheap rate on the expectation that the establishment of this mill will help them.

1806 hours (Dr. Laxminarayan Pandeya *in the Chair)*

They were also sure that they will get employment in that sugar mill itself. Similarly, when they were not having infrastructures like roads, telecommunication, electricity, water, and such other facilities, the local community was helping them. The local politicians were also helping them to establish the mill as early as possible. In the same way, the then Congress Government at the Centre as also the AIADMK Government in Tamil Nadu were also giving

them financial help. The private mill owners were having many other mills. They were having experience in that field. The Nationalised Banks were also helping them. The State Government was giving them subsidy as that industry was being established in an area which was economically and industrially backward. The concession up to 22 per cent to 30 per cent was given in sales tax and excise duties also. The people were hopeful that the creation of the mill will totally change their life. It is true that it had happened but only for a short period of three or four years.

They were getting the signatures of the agriculturists for purchasing shares. The agriculturists themselves did not know for what purpose their signatures were being obtained. But their money was being deducted for the purpose of purchase of the shares in the market. For three years that mill was having a very heavy profit, but it was not shown in their accounts. The accounting showed that it was running in loss. So, there was no dividend paid to the poor agriculturists who purchased shares without their own knowledge.

At the same time the private sector people were telling the agriculturists that the Government levy was reducing their profit margin, if it was a free market, they could have given more money to the agriculturists. But it was not the case. A certain levy was paid to the Government, but the rest of the goods were sold in the open market. Within three years time they got all their money back and they bought another mill in Orissa. Their profit was so much.

In the same way, the cultivation pattern in the local area was also changed. Almost all the people changed from paddy to sugarcane cultivation. Everywhere ground water was tapped by putting new bore-wells and by laying new canals. There was too much of change in the agricultural pattern in the society. Villagers were borrowing money thinking that they would repay it as they would be getting large amounts of money. They thought they would not only repay the loans, but also would lead a luxurious life, construct new houses, buy new vehicles and marry off their daughters. That way the social pattern was changed during that period.

But, after a certain period things started to turn around when their profit level came to such an extent that they could not hide it in their book-keeping. They started to repurchase the shares without the knowledge of the agriculturists. They were getting signatures without their knowledge and got back the shares. The agriculturists were losing their profit by having shares in the mill.

The job opportunities also came down drastically. The mill was getting more and more mechanised. A lorry load of sugarcane comes, gets lifted to the weighing bridge, gets measured by their own computers, goes into the mill and gets converted into sugar. Finally sugar bags come out of the mill. There would not be any human aspect at all excepting monitoring at the computers to see whether things are going properly. That kind of a big mill with a huge capacity was employing only 20 youths with computer knowledge. No more employees were required for the rest of the things.

Even the waste which was coming out after juice was extracted from the sugarcane was also used in power generators. The mill owners were using even this waste for their own profit and the agriculturists were deprived here also. And the agriculturists were losing money on this count also. They were borrowing money from the banks, the banks would deduct their amount when the sale proceeds accrue in the account of these agriculturists. Even this money was being given to them six or nine months afterwards. Look at the plight of these poor people who were expecting that they would get a huge amount so that they could not only repay the money they had borrowed from the moneylenders, but also enjoy other luxuries of life. When they were not getting their money for nine months or even more, the interest on the loan was also going up.

In this way the local agriculturists who were depending upon sugarcane cultivation suffered a lot. They could not do anything. They started an agitation against the mill.

That huge agitation was also conducted in their own way. It was divided. The agriculturists were divided into groups and therefore, they could not remain united for at least 15 days or one month. The final result was that they could not get the money at the proper time and could not repay their debts. They could not have their new culture or new life to continue. They had to go back to the poverty-stricken life. They could not even repay the money which had borrowed for their own daughters. This is the position of the economically backward district, especially my constituency.

Now, the question of privatisation has come up. They say that prices should go up and profits should go up. That was the thinking we were having when it was given to their hands instead of the cooperative mills which we were having previously. When the private sector has come, then we thought that there would naturally be better management and better profits for the agriculturists. But here, it has not happened. It was a very short living period. Subsequently, things happened in a topsy-turvy way. Then what happened? Poor people could not get the money also.

I am supporting the Resolution even though the State of Tamil Nadu is not specifically mentioned. It is given as other sugarcane producing States and therefore, Tamil Nadu is also covered. Now, they are saying that they are

going to close the mills. What will happen then? They are now telling that the Government policy is against them because they were importing from Pakistan and other countries and they could not compete with the world market. That is their argument now. How is the private sector playing the game? Who can protect us, the agriculturists and the people who changed their own life? Their life style has changed; their culture has changed; their psychology has changed. What is their position now? How are they going to live and who will protect their interests and land? Now, they cannot go back to the paddy crop because the cropping pattern has changed. To that extent, we cannot get water also. The ground water level is going down. The Vaigai Dam and the Periyar Dam are under dispute. Therefore, water is not coming to the canals and sea water is coming inside as afforestation is not developed. All the forest trees were removed. Therefore, drought is hitting the districts continuously. This is the pathetic situation which has developed in our area. Therefore, I request the Government to have control upon them. Even if it is privatised, till they cultivate, we do not want to copy any multinational company. But the private sector should also have some discipline. They should have a feeling that they are looking after the affairs of the poor people who are depending upon them just like how the States and the Central Government are feeling. The private sector should also feel so. Only then, we can have a better privatisation. Only then the agriculturists will have faith on them.

I would like to just point out how poor people are cheated in Tamil Nadu. People of middle class and other classes were having small amounts of money in their hands and they had deposited them in the benefit fund. They were told that they would be given 23-24 per cent interest. So, all the money was dumped into the benefit funds. Then, they had closed the doors after one year and had gone away. Now, no law or no Government is supporting them? How to get back the money which was hard-earned? Where is the society? People have given power to the Government because they thought that they will be guided and that the laws will be guiding them. This is the position.

At this juncture, I would like to draw the attention of the Government that this is a very important Resolution. We may be losing our powers gradually by privatisation. But at the same time, we should find out some other way out on how to control the private companies or mills because people are depending on them.

Even now, they are having 20 to 30 per cent faith upon the Government, upon the people's representatives, upon the Government servants and the Government system though they have lost 70 per cent faith. Therefore, there must be a thought given, within the administration, within the bureaucrats, to see how best they can monitor the privatisation and how best the mills can also be controlled in a proper way. We do not have a total control. There should be checks and balances at the appropriate time so that we can help the people. Then only they can totally depend upon the faith alone. The poor people are having faith upon the private sector. So, this should be the attitude of the Government.

Now, I draw the attention of the hon. Minister to the consumer things. I would like to request the Government that the sugar price should be controlled. There should be a proper levy again. Then only they can say that the price is fixed in that way. Then only the market price can be fixed and the agriculturists can be protected.

With these words, I conclude my speech. I thank you for giving me this opportunity.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, डा. मदन प्रसाद जायसवाल जो गैर सरकारी संकल्प लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उन्हें धन्य वाद देता हूं। यह गैर सरकारी संकल्प बड़ा ही सामयिक है, केवल सामयिक ही नहीं है बल्कि यह जनहित और किसानों के हित में है, इसलिए मैं विशेा रूप से उन्हें धन्यवाद देता हूं।

महोदय, किसानों की पीड़ा अनंत है। जहां अनाज और तिलहन के किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं वहीं गन्ने के किसानों को भी दाम नहीं मिलता। सरकार रेट तय करती है, लेकिन उन्हें दाम नहीं मिलता है। मुझे तकलीफ और आश्चर्य होता है कि सरकारें दावा करती हैं और अपनी उपलब्धी जताती हैं कि हमने गन्ना किसानों का भुगतान करवा दिया है, लेकिन कितना करवा दिया, कुछ करवा दिया या कुछ बाकी है, यह पता नहीं। इतना भारी संकट गन्ने के किसानों पर है। किसान जिस चीज का उत्पादन करता है उसे उसका भुगतान तुरंत नकद होना चाहिए। ये कहते हैं कि साल-दो साल में भुगतान करवा देंगे। सरकार के लोग बोलते हैं कि हमने भुगतान करवा दिया है। किसानों की बहुत दुखद स्थिति है। माननीय सदस्य ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर भुगतान होना चाहिए। केन एक्ट में विभिन्न राज्यों में 14 दिन के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है और 14 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें सूद के साथ भुगतान करना है। अब यहां सवाल उठता है कि उनका भुगतान नहीं हुआ, आप सूद के साथ भुगतान करिए। सरकार बोलती है कि मूल मिल नहीं रहा है और यह सूद खोज रहे हैं, इसलिए यह लागू नहीं हो रहा है। यह कानून में है लेकिन लागू नहीं हो रहा है, जो लागू होना चाहिए। हर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि उनको नकदी भुगतान हो जाए और अगर देर हो तो सूद सहित भुगतान हो। यदि सूद सहित भुगतान की प्रक्रिया लागू हो जाए तो उन्हें मिलने में विलम्ब नहीं होगा, लेकिन कानून में रहते हुए भी सूद की प्रक्रिया लागू नहीं होती। इसलिए यह सरकार के लिए चुनौती है। यह कानून में है, लेकिन किसानों के पक्ष में यह कानून है इसलिए लागू नहीं होता।

माननीय सदस्य बता रहे थे कि किसानों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बाकी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्य, जहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां के लिए उन्होंने कहा था। इसकी उन्हें बहुत चिन्ता है। उन्होंने गैर सरकारी संकल्प में किसानों के प्रति चिन्ता जताई है। उनका कहना है कि किसानों के बकाया का भुगतान हो। किसानों के गन्ने की कीमत का सात दिन के अंदर भुगतान हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। 14 दिन वाला लागू नहीं हो रहा है, अगर सात दिन वाला लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और सूद सहित भुगतान हो, अन्यथा किसान संकट में है। किसान अनाज की खेती करता है, लेकिन उसे आधे दामों पर बेचना पड़ता है। उससे मार खाकर वह गन्ने की खेती करता है, उसका भी भुगतान नहीं होता, यह बात बिलकुल साफ है - तो वह कहां जाए।

किसान क्या बोये, उसे हर प्रकार से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। " बेल के मारन बबूल तक, बबूल के मारन बेल तक" । यह लोकभाा में कहावत है कि

किसान कहां जाए? अनाज की खेती करे, कोकोनट की खेती करे, तिलहन की खेती करे, दलहन की खेती करे, गेहूं की. चावल की, मक्का की या फिर गन्ने की खेती करे। किसी न किसी हालत में उसे संकट में पड़ना है, यह उसकी स्थिति हो गयी है। पशुपालन में भी दूध का इम्पोर्ट हो जाता है, पाउडर वगैरह के द्वारा।

सभापति महोदय, बंद चीनी मिलों को चालू कराने की भी उन्होंने चिंता की है। लेकिन राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार इस प्रश्न को एक दूसरे पर टाल देती हैं। इस तरह से किसान मारा जाता है। केन्द्र सरकार अपनी जवाबदेही राज्य सरकारों पर फेंक देती है और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी केन्द्र पर फेंक देती हैं। जहां कहीं भी चीनी मिलें बंद हैं वहां का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है।

सभापति महोदय, बिहार में कुल 64 चीनी मिलें बंद हैं और बिहार में 19 चीनी मिलें बंद हैं। लौरिया, सुगौली, मोतीपुर, हथुआ,सिवान, न्यू सिवान, गोरौल, लोहट, रैयाम, सकरी, समस्तीपुर, बिहटा, गुरारू, वारसलीगंज, बनमनखी, चनपटिया, बाराचकिया, मॅढौरा, पंचरूखी - ये 19 चीनी मिलें बिहार में बंद हैं। बिहार की स्थिति जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। चीनी मिलों की स्थापना बिहार और महाराट्र में एक साथ हुई। जब 1930-32 में देश में कुल चीनी का उत्पादन 9 लाख टन होता था तो बिहार में चीनी का उत्पादन 3 लाख टन था। अब देश में 164 लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा हो रही है लेकिन बिहार में वही 3 लाख टन चीनी पैदा हो रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब देश में कुल 9 लाख टन चीनी पैदा होती थी तो बिहार में उसका तिहाई भाग 3 लाख टन चीनी पैदा होती थी। कारण साफ है क्योंकि 19 चीनी मिलें बंद हैं और जो चालू भी हैं उनकी भी क्रशिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। वहां के किसान तबाही के कगार पर हैं। इसलिए केन्द्र सरकार अगर मुस्तैदी से सहायता नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

केन्द्र सरकार की ओर से दो चीनी मिलों मोतीपुर और गोरौल के संबंध में शुगर टैक्नोलॉजी मिशन भेजा गया था। उनके एक्सपट्र्स ने रिपोर्ट भी दी थी, वह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि इन्हे चालू किया जा सकता है। इसमें मोतीपुर को शुगर मिल के रूप में और गोरौल को खंडसारी और गुड़ के रूप में वायबल माना गया था और कहा गया था कि यह किसानों के लिए भी लाभकारी होगा।

सभी चीनी मिलें सरकार के अधीन हैं। दो-तीन चीनी मिलें ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अधीन हैं। ये सभी चीनी मिलें बंद हैं। सरकारी स्तर पर इसको चालू करने के प्र ायत्न हुए। नयी चीनी मिल में तो

50-60 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी तो इनका आधुनिकीकरण करने में 25-30 करोड़ लगेगा। लेकिन अब पूंजी की समस्या है। कैसे होगा? वहां की राज्य सरकार ने कैबिनेट का फैसला करके तीन पुराने चीनी मिलों के मालिकों को चीनी मिलें वापस कर दीं।

यह फैसला हुआ और 19 में से 16 मिलें बंट गई। 16 चीनी मिलों के सम्बन्ध में सरकार ने फैसला किया कि आई.एफ.सी.आई. जो भारत सरकार का संस्थान है, वह इसके बीच में आकर मूल्यांकन करे और विज्ञापन देकर प्राइवेट वाले इसे चलाएं यानी यह किसी तरह चलें। वह किसी हालत में चलनी चाहिए चाहे प्राइवेट पार्टी हो, चाहे ज्यौंट वैंचर हो, चाहे लीज पर हो, चाहे सरकारी स्तर पर हो। वह पैसा देकर उनकी मदद करे और उसे चालू किया जाए। यह किसानों का संकट है। हरेक चीनी मिलों में मजदूरों का बकाया है। बिहार में किसानों का 22 करोड़ रुपया बकाया था। इसमें से कुछ मिल गया है लेकिन कुछ अभी भी सरकारी स्तर पर बाकी है। करीब 9-10 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं। 13 करोड़ रुपए मिले थे। 22 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए। 9 करोड़ रुपए प्राविडैंट फंड वालों ने काट लिए। किसान के दिए पैसे प्र ाविडैंट फंड में मजदूरों के लिए कट गए। इस वजह से 9 करोड़ रुपए किसानों के बाकी रह गए हैं। केन्द्र सरकार इसके लिए दबाव डाले। राज्य सरकार को चाहिए किसानों का 9 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसका भुगतान कर दे। केन्द्र सरकार अपनी जवाबदेही को नहीं टाले।

जैसा माननीय जायसवाल जी ने कहा कि बंटवारे के बाद बिहार को केवल खेती पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहां उद्योग के नाम पर चीनी मिले हैं। वे जब तक चालू नहीं होंगी तब तक बिहार सरवाइव नहीं करेगा। वहां इतना भारी संकट है। आप राज्य सरकार, आई.एफ.सी.आई. आदि सब को बुला कर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए इसका इवैल्यूएशन जल्दी करें। कहीं ऐसा न हो कि फिर अखबार में विज्ञापन निकले और कोई नहीं आए। इसे कोई नहीं ले रहा है, इस बात को ध्यान में रख कर प्र ायत्न करिए। प्राइवेट वाले इसे लेकर चालू कर सकते हैं। इसमें कर संबंधी छूट और दूसरी सहूलियतें देने की बात हो सकती है। किसी भी हिसाब से केन्द्र सरकार मदद देकर प्रयत्न करे चाहे पैसे देकर या कानून का सहारा लेकर या आई.एफ.सी.आई. और अन्य एजेंसियों द्वारा इस काम को करवाया जाए। किसी न किसी हालत में इस काम को किया जाए क्योंकि राज्य सरकार इसका संचालन कराने में अभी अक्षम है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है।

सभापति महोदय : समय हो रहा है। आप इसे कनक्लूड करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं अपना भाण अगली बार जारी रख सकता हूं।

MR. CHAIRMAN : आप अपना बाकी भाण अगली बार करें।

Now, the House stands adjourned to meet on Monday, the 4th December, 2000 at 11 am.

1833 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on December 4, 2000/Agrahayana 13, 1922 (Saka).